बिहार सरकार
कृषि विभाग

# खरीफ किसान चौपाल कार्यक्रम से संबंधित मार्गदर्शिका

BAMETI

बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), पटना

# कृषि मूलष्य जीवनम्

# किसान चौपाल कार्यक्रम

1. **परिचय** – राज्य में कृषि के विकास के लिए उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त मात्रा में भूगर्भीय जल तथा खेती के अनुकूल जलवायु उपलब्ध है। इसके बावजूद भी अधिकांश फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन राष्ट्रीय स्तर से काफी नीचे है। बिहार के किसानों की आमदनी भी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। इसका प्रमुख कारण है कि किसान आज भी पुरानी तकनीक के माध्यम से परम्परागत विधि से खेती कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप खेती में किसानों की शुद्ध आय काफी कम होने के कारण खेती के प्रति उनका रूझान दिन प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है। कृषि की उन्नत तकनीकी किसानों को हस्तानांतरित करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि पदाधिकारियों को संयुक्त रूप से गाँव में जाकर उनसे वार्ता कर नवीनतम तकनीकी के प्रयोग के बारे में बताने की आवश्यकता है। किसान चौपाल के माध्यम से कृषि विभाग द्वारा संचालित होने वाली विभिन्न योजनाओं के संबंध में किसानों को जानकारी देने की आवश्यकता है ताकि किसान इसका लाभ उठा सकें। साथ हीं कृषि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/उद्यान महाविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों तथा कृषि विभाग के प्रसार पदाधिकारियों द्वारा किसानों के स्थानीय समस्याओं का निराकरण किया जाना आवश्यक है। किसान चौपाल में फसलों की उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ विपणन समस्याओं के समाधान कर उनकी आमदनी बढ़ाने का भी सुझाव दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से कृषि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/उद्यान महाविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों, कृषि विभाग के प्रसार पदाधिकारियों एवं किसानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा और निश्चित रूप से इसका लाभ किसानों को मिलेगा। फसल अवशेष जलाने से मिट्टी के पोषक तत्वों की क्षति होती है, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की क्षति होती है। जमीन में पाये जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवाणुओं का सफाया हो जाता है। फसल अवेशेष जलाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। इसके जलाने से एरोसॉल के कण निकलते हैं जो हवा को प्रदूषित करते हैं। फसल अवशेष को न जलाने तथा इसके प्रबंधन से संबंधित यंत्रों के प्रयोग के बारे में किसानों को बताने की आवश्यकता है ताकि किसान इसका लाभ उठा सकें।

**2. कार्यक्रम का उद्देश्य** – किसान चौपाल कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

2.1. विभिन्न फसलों के उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी जाँच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग, समय से फसल की बुवाई, फफुँदनाशी एवं कीटनाशी से बीजोपचार, सिंचाई के लिए जल प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, समेकित कीट प्रबंधन तथा समेकित पोषक तत्व प्रबंधन आदि के बारे में किसानों को जानकारी उपलब्ध कराना।

2.2. कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में किसानों को जानकारी देना तथा किसानों से आवेदन पत्र प्राप्त करना।

2.3. बागवानी फसलों विशेषकर सब्जियों के जैविक उत्पादन पर विशेष रूप से किसानों को प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित करना।

2.4. संबंधित पंचायत के लिए उसके मिट्टी एवं उपलब्ध संसाधन के अनुसार फसल विशेष/एक्टीभीटी का चयन कर खेती करने का सुझाव देना।

2.5. तेलहनी, दलहनी फसलों में कीट व्याधि के प्रकोप को कम करने के उद्देश्य से अनुशंसित बीजों की उपलब्धता के साथ–साथ किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती विशेषकर अंतवर्ती फसलों के साथ सब्जी आदि के उपयोग पर विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।

2.6. किसानों के स्थानीय समस्याओं का समाधान कृषि वैज्ञानिकों एवं प्रसार कर्मियों द्वारा किया जाना।

2.7. कृषक हित समूह एवं खाद्य समूह का निर्माण तथा आत्मा के माध्यम से उसका निबंधन एवं किसान उत्पादक संगठन का निर्माण कर अधिक उत्पादन तथा बाजारोन्मुखी उत्पादन हेतु प्रेरित करना एवं कृषि विपणन में अधिक सहभागिता के लिए सुदृढ़ करने का प्रयास करना।

2.8. इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करना।

2.9. किसानों के स्थानीय समस्याओं का समाधान कृषि वैज्ञानिकों एवं प्रसार कर्मियों द्वारा किया जाना।

2.10. इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करना।

**3. कार्यक्रम का विवरण** – खरीफ किसान चौपाल का आयोजन राज्य के सभी पंचायतों में दिनांक 01.07.2022 से 20.07.2022 के बीच आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक, कृषि समन्वयक, पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, सहायक तकनीकी प्रबंधक, किसान सलाहकार तथा कृषि विभाग के पंचायत एवं प्रखंड स्तर के कर्मी भाग लेंगे। संबंधित परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी, उप निदेशक, भूमि संरक्षण, सहायक निदेशक, उद्यान/पौधा संरक्षण तथा वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान कृषि विज्ञान केन्द्र की सहमति से एक कार्ययोजना/कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि जिले के संबंधित पंचायतों को इस निर्धारित अवधि में आच्छादित किया जा सके। कार्ययोजना में तिथिवार पंचायतवार प्रसार कर्मियों को सम्बद्ध करते हुए इसके आयोजन हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। किसान चौपाल में अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार की जवाबदेही उस पंचायत के लिए प्राधिकृत प्रसार कर्मी दल यथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, कृषि समन्वयक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं किसान सलाहकार आदि की होगी। कार्यक्रम समाप्ति के बाद फलाफल से सम्बंधित प्रतिवेदन परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा निदेशक, बामेती को निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाएगा।

**4. कार्यक्रम की व्यवस्था**– खरीफ किसान चौपाल के आयोजन की सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी तथा परियोजना निदेशक, आत्मा की संयुक्त रूप से होगी। परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा कार्यक्रम की व्यवस्था की जाएगी। इस कार्यक्रम में खर्च होने वाली राशि का व्यय किसान चौपाल योजना में उपलब्ध कराई गई राशि से किया जाएगा।

5. **कार्यक्रम का अनुश्रवण** – पंचायत स्तर पर अनुश्रवण पंचायत नोडल पदाधिकारी के द्वारा, प्रखंड स्तर पर अनुश्रवण नामित जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी द्वारा एवं जिला स्तर पर अनुश्रवण जिला कृषि पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक, आत्मा, प्रमंडल स्तर पर अनुश्रवण प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शस्य) एवं राज्य स्तर पर अनुश्रवण निदेशक, बामेती द्वारा किया जाएगा। प्रतिदिन किसान चौपाल का समेकित प्रतिवेदन निदेशक, बामेती के द्वारा राज्य नोडल पदाधिकारी, आत्मा योजना को उपलब्ध कराई जाएगी।

6. **अन्य निदेश** –

- किसान चौपाल नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आयोजित किए जायेंगे। प्रत्येक दिन तीन किसान चौपाल एक प्रखंड में आयोजित होंगे। प्रतिदिन तीन नुक्कड़ नाटक अर्थात प्रति पंचायत एक नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जायेंगे।
- प्रति नुक्कड़ नाटक पर 4634/– रू0 एवं प्रति किसान चौपाल पर 5894/– रू0 अधिकतम व्यय किया जाएगा।
- प्रत्येक नुक्कड़ नाटक 02 घंटों का होगा तथा इसका आयोजन पंचायत भवन पर किया जाएगा।
- प्रत्येक पंचायत में पंचायत किसान भवन पर किसान चौपाल एवं आयोजन की जानकारी फ्लैक्स के माध्यम से दी जाएगी ।
- प्रत्येक प्रखंड में फ्लैक्स के माध्यम से किसान चौपाल एवं आयोजन की जानकारी दी जाएगी।
- प्रत्येक पंचायत में आयोजित होने वाले किसान चौपाल में योजना एवं तकनीकों से संबंधित जानकारी हेतु पम्पलेट/हैण्डबील किसानों के बीच वितरित किया जाएगा।
- किसान चौपाल में जिला कृषि पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक, आत्मा आवश्यक रूप से भाग लेंगे।
- किसान चौपाल के सफलतापूर्वक आयोजन की पूर्ण जवाबदेही जिला कृषि पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक, आत्मा की होगी जिसका पर्यवेक्षण प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शस्य) के द्वारा की जाएगी।
- पंचायत स्तर पर अनुश्रवण पंचायत नोडल पदाधिकारी के द्वारा, प्रखंड स्तर पर अनुश्रवण नामित जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी द्वारा एवं जिला स्तर पर अनुश्रवण जिला कृषि पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक, आत्मा, प्रमंडल स्तर पर अनुश्रवण प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शस्य) एवं राज्य स्तर पर अनुश्रवण निदेशक, बामेती द्वारा किया जाएगा। प्रतिदिन किसान चौपाल का समेकित प्रतिवेदन निदेशक, बामेती के द्वारा राज्य नोडल पदाधिकारी, आत्मा योजना को उपलब्ध कराई जाएगी।
- किसान चौपाल में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का निदेश संयुक्त रूप से जिला कृषि पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा दिया जाएगा जिसकी जबावदेही प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं कृषि समन्वयक की संयुक्त रूप से होगी।
- प्रत्येक पंचायत में किसान चौपाल में संबंधित पंचायत स्तरीय प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, कृषि समन्वयक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं किसान सलाहकार के माध्यम से सरकार की योजनाओं एवं समसामयिक समस्याओं के समाधान से संबंधित जानकारी दी जाएगी।

- किसान चौपाल के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु जिला स्तरीय पदाधिकारी को प्रखंड स्तरीय नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित करने की जवाबेदही संयुक्त रूप से जिला कृषि पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक, आत्मा की होगी।
- किसान चौपाल के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी यथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी को संबंधित प्रखंड के प्रत्येक पंचायत के लिए तिथिवार नोडल पदाधिकारी नामित किया जाएगा। प्रखंड स्तर के तीन पदाधिकारी प्रतिदिन एक–एक किसान चौपाल के नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। एक दिन में तीन किसान चौपाल संबंधित प्रखंड के पंचायत में आयोजित होंगे।
- प्रत्येक दिन दैनिक समाचारपत्रों में किसान चौपाल का विस्तृत जानकारी प्रकाशित कराने की जवाबदेही परियोजना निदेशक, आत्मा एवं जिला कृषि पदाधिकारी की संयुक्त रूप से होगी।
- प्रत्येक किसान चौपाल में फीडबैक फार्म के माध्यम से फीडबैक प्राप्त किया जाएगा।
- किसान चौपाल के आयोजन से पूर्व पंचायत स्तर पर अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार कर किसानों की भागीदारी सुनिश्चित कराने की जवाबदेही संबंधित पंचायत के किसान सलाहकार, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं कृषि समन्वयक की होगी जिसका अनुपालन प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक सुनिश्चित करायेंगे इसका अनुश्रवण करने की जवाबदेही संबंधित प्रखंड के नामित नोडल पदाधिकारी की होगी।
- किसान चौपाल के दौरान नुक्कड़ नाटक में ड्रेस कोड रखा जाएगा।
- बारिस या अन्य आपात स्थिति में किसान चौपाल का आयोजन यदि नहीं हो पाता है तो उस पंचायत में दिनांक 20.07.2022 के बाद आयोजित किया जाएगा।

प्रत्येक किसान चौपाल के लिए आयोजन स्थल पर 6 फीट x 4 फीट आकार का एक फ्लैक्स बैनर लगाया जाएगा जिसका विवरण निम्नवत है –

| माननीय कृषि मंत्री का फोटो | माननीया उपमुख्य मंत्री का फोटो | माननीय उपमुख्य मंत्री का फोटो | बिहार सरकार<br>कृषि विभाग लोगो सहित | माननीय मुख्यमंत्री का फोटो |
|---|---|---|---|---|

**खरीफ किसान चौपाल**

जिला.....  प्रखंड .....

पंचायत.....  चौपाल स्थल.....

तिथि.....

आयोजक – कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) .....

**प्रखंड भवन पर किसान चौपाल के लिए 20 फीट x 10 फीट आकार का एक फ्लैक्स बैनर लगाया जाएगा जिसका विवरण निम्नवत है –**

| माननीय कृषि मंत्री का फोटो | माननीया उपमुख्य मंत्री का फोटो | माननीय उपमुख्य मंत्री का फोटो | बिहार सरकार<br>कृषि विभाग लोगो सहित | माननीय मुख्यमंत्री का फोटो |
|---|---|---|---|---|

**खरीफ किसान चौपाल– 2022**

**जिला का नाम –**

| क्र0सं0 | प्रखंड का नाम | पंचायत का नाम | आयोजन की तिथि |
|---|---|---|---|
| | | | |

- किसान चौपाल के आयोजन का फ्लैक्स सहित फोटो मोबाईल/कैमरा से ली जाएगी तथा इसे प्रतिदिन बामेती को इमेल के माध्यम से परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ हीं उसका वीडियो की क्लीपिंग बनाकर कृषि/बामेती के साईट पर अपलोड किया जाएगा।
- किसान चौपाल के आयोजन के दौरान Android Application based Gio tagging photo सिस्टम से प्रत्येक नुक्कड़ नाटक को फोटो भेजना सुनिश्चित करेंगे। यह जवाबदेही नुक्कड़नाटक के टीम लीडर एवं संबंधित पंचायत सहायक तकनीकी प्रबंधन एवं कृषि समन्वयक की होगी।
- किसान चौपाल के आयोजन की समाप्ति के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र में फलाफल संबंधी समेकित प्रतिवेदन फोटो सहित ई–मेल के माध्यम से बामेती को उपलब्ध कराया जाएगा।
- किसान चौपाल कार्यक्रम को और प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से सुझाव प्राप्त करने हेतु एक फीडबैक फॉम तैयार किया गया है। कार्यक्रम समाप्ति के उपरांत उपर्युक्त फीडबैक फार्म की मूल प्रति को हार्ड कॉपी में बामेती को उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाए जिससे फीडबैक फार्म के आधार पर प्राप्त सुझाव को अगले योजनाओं/कार्यक्रमों में इसे सम्मिलित किया जा सके।

22/06/2022

**निदेशक**

बामेती, बिहार, पटना